(वाद सं0.-3017/19)

16.09.2020

प्रसंगाधीन मामला परिवादी के भाई पिंटू सिंह उर्फ रजनीश कुमार सिंह को मुजफ्फरपुर स्थित खुदीराम बोस आदर्श कारागार मे उचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई थी जो अवकाश रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ । अवकाश रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन को संलग्न कर कथन है कि बंदी पिन्टु सिंह को एच0 आई0 भी (एड्स), टी0 बी0 तथा कैंसर रोग से ग्रसित रहने के कारण पी0एम0सी0एच0, पटना मे चिकित्सा हेतु चिकित्सा अवधि तक के लिए शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर से आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर , पटना दिनांक 23.09.2019 को स्थान्तरित किया गया था।

प्रतिवेदनानुसार "**बंदी को पी0एम0सी0एच0, पटना के चिकित्सकों की देख–रेख में ईलाज कराया जा रहा था, जिसे दिनांक–10.11.2019 को अचानक तबियत खराब होने के कारण कारा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्राण–रक्षार्थ पी0एम0सी0एच, पटना भेजने हेतु की गयी अनुशंसा के आलोक में तत्काल कारा कक्षपालों की सुरक्षा/अभिरक्षा में दिनांक–10.11.2019 के अपराह्न में बंदी को पी0एम0सी0एच, पटना भेजा गया था, जहाँ ईलाज के क्रम में दिनांक–10.11.2019 के संध्या लगभग–07.40 बजे उसकी मृत्यु हो गई।**"

अवकाश रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि बंदी पिंटू सिंह उर्फ रजनीश कुमार सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे अपने असमय कारामुक्ति हेतु

Cr.W.J.C No. 256/2019 दाखिल किया गया था। जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया ।

अवकाश रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि भा0द0सं0 की धारा 307 व शस्त्र अधिनियम की धारा 27 से संबंधित मुजफ्फरपुर नगर थाना कांड सं0–301/13 से जनित सत्र वाद सं0–29/14 के एक मात्र सजायाफ्ता, बंदी पिंटु सिंह उर्फ रजनीश कुमार सिंह, की चिकित्सा कराये जाने में **काराकर्मियों द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है तथा इलाज के क्रम मे ही पी0एम0सी0एच, पटना मे उसकी मृत्यु हो गई** ।

अवकाश रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **अवकाश रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक